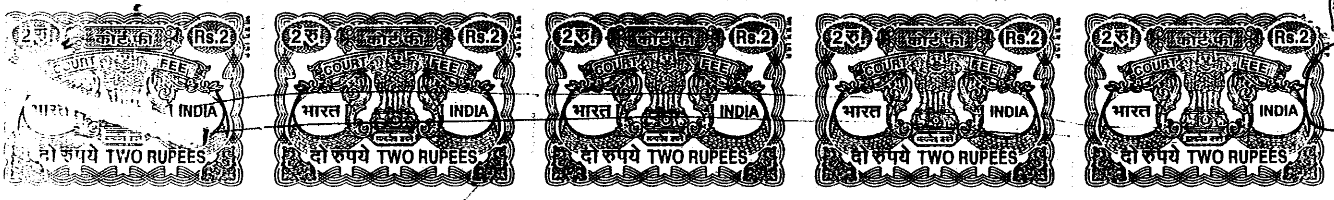

17

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016

आवेदक...........................	अब्दुल बहीद तनय श्री अब्दुल समद, निवासी– धाम मोहल्ला, पन्ना हाल बिल्डिंग के पास, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)
बनाम	
अनावेदक.........................	श्रीमती सुषमा खरे पत्नी श्री संतोष कुमार खरे, निवासी– जागात चौकी पन्ना तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

आवेदन अन्तर्गत धारा 35(3) सहपठित धारा 32 एवं 43

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है

1. यह कि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी/पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 अपर कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/निगरानी वर्ष 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई थी, जो कि प्रकरण क्रमांक 2290-I/2015 निगरानी पर दर्ज हुयी।

2. यह कि उपरोक्त प्रकरण दिनांक 03.08.15 को सुनवाई पर आया और माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक को सूचना जारी किये जाने एवं अभिलेख बुलाये जाने हेतु आदेश पारित किया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2820·9216-I/16 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-17	आवेदक अभि० श्री अजीत सुर्डले उपस्थित। आवेदक द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण आदेशों की पालन न करवाया जाना न करने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापिस किया जावे। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)

[कृ. प. उ.